न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी गढ़वाल।
आपराधिक वाद संख्या 845 सन् 2022
अनिल सिंह बनाम विनोद कुमार बहुगुणा।

<u>दिनांक 18.03.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 68ब द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रश्मि रावत प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह पुण्डीर उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली आज दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 251 सहपठित 263(छ) के तहत अभियुक्त को अभियोग का सारांश बताये जाने हेतु नियत
है। अभियुक्त को धारा 251 सहपठित 263(छ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोग का सारांश बताया गया। अभियुक्त के द्वारा अभियोग के झूठे होने का कथन किया गया तथा विचारण की मांग करी गई।

पत्रावली वास्ते प्रतिपरीक्षा दिनांक 04.04.2024 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।